

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 10.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा विपिन उर्फ बी.के. पुत्र स्व० मोहन सिंह निवासी ग्राम कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष को आने जाने वाली लडकियों को देखकर अश्लील हरकते व कमेन्ट्स करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 0457/25 धारा 296(बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अंकुर राव पुत्र सिद्धार्थ संजय राव निवासी वार्ड नं० 5 शिवाजी नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर का०दे० उम्र 26 वर्ष को महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 343/2025 धारा 296 BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा संदीप शर्मा पुत्र ब्रह्माप्रसाद शर्मा नि० मालवीय नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 344/2025 धारा 296 BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनेश पाल पुत्र छम्मी लाल पाल निवासी इन्द्रानगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से अवैद्य विस्फोटक सामग्री फुलझरी, अनार, चकरी, पटाका महताब आदि कुल वजन 12 किलो 400 ग्राम बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 345/2025 धारा 5क/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा आसिफ उम्र 34 वर्ष पुत्र रुबाब खां निवासी मोहल्ला फत्तेपुर वार्ड न० 07 कस्बा व थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को अवैध पटाखा/आतिशबाजी को विक्रय करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 88/2025 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा वसीम अहमद उम्र 58 वर्ष पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी मोहल्ला फत्तेपुर वार्ड न० 07 कस्बा व थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को अवैध पटाखा/आतिशबाजी को विक्रय करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 89/2025 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मो० शरीफ पुत्र उमर मोहम्मद निवासी मुंगीसापुर, थाना डेरापुर कानपुर देहात को रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं व लड़कियों को देखकर अश्लील हरकत व गाने आदि गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 0183/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा शिव मंगल पुत्र अम्बिका प्रसाद उम्र 21 वर्ष नि० फरहतपुर पोस्ट संदलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य/फुहड़ गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 354/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।